पत्रांक - 1492/0-100/2024

दिनांक - 24-01-24

To,

The Registrar,
National Green Tribunal
Principal Bench, New Delhi.

Subject- **<u>Response on behalf of UP Pollution Control Board compliance of order dated 30-10-2023 in O.A. No. 435/2023 "Jasbir Singh V/s State of U.P.</u>**

Respected Sir,

We have file our report 24-01-2024 which was inadvertently filled without annexure no-IV. I am annexing the said annexure here with kindly take in to consideration of the same

Your faithfully,

Enclosure :- As above

24/01/24

Regional Officer (I/C)

C.C :- For kind information please:-

1. Member Secretary, UP Pollution Control Board, Lucknow.
2. District Magistrate, Mathura.
3. Sri Arvind Kumar, Advocate H'ble N.G.T. New Delhi.
4. Chief Environment Officer (Circle-4), UP Pollution Control Board, Lucknow.
5. Chief Law Officer, UP Pollution Control Board, Lucknow.

Regional Officer (I/C)

Annexure-IV

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक 406/55 /सी–4/एनजीटी–175/पर्या0क्षति0/2024 दिनांक 24/1/24

सेवा में,

मै0 एस0जे0पी0 रियल ईस्टेट लि0,
(प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स),
खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871,
मौजा–सुनरख बांगर,
तहसील व जनपद–मथुरा।

विषय : **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–435/2023 जसवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के अनुपालन में निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.09.2023 की पुष्टि के संबंध में।**

महोदय,

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–435/2023 जसवीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के अनुपालन में बोर्ड के पत्रांक–एच00654/सी–4/एनजीटी–175/2023, दिनांक 13.09.2023 द्वारा रियल ईस्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रियल ईस्टेट लि0, (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा–सुनरख बांगर, तहसील व जनपद–मथुरा के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निर्गत कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में प्रेषित प्रतिउत्तर दिनांक 04.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करें।

यह कि संदर्भित इकाई द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के अनुक्रम में मै0 एस0जे0पी0 रियल ईस्टेट लि0, (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा–सुनरख बांगर, तहसील व जनपद–मथुरा का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र शाह, साइट इन्जीनियर एवं श्री शेखर अग्रवाल, डायरेक्टर की उपस्थिति में दिनांक 18.01.2024 को करते हुए, निरीक्षण आख्या दिनांक 24.01.2024 के माध्यम से प्रेषित की गयी है। निरीक्षण आख्यानुसार रियल ईस्टेट प्रोजेक्ट मै0 एस0जे0पी0 रियल ईस्टेट लि0, (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), ताज ट्रैपेजियम जोन के क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा–सुनरख बांगर, तहसील व जनपद–मथुरा पर स्थापित है। संदर्भित रियल ईस्टेट प्रोजेक्ट का कुल प्लाट एरिया–94548.88 वर्ग मीटर है, जिसमें सिप्लेक्स विला–286 (प्रत्येक 83.52 वर्ग मीटर), डुप्लेक्स विला–47 (प्रत्येक 100.33 वर्ग मीटर), प्लाट–202 (149.25 वर्ग मीटर एवं 83.52 वर्ग मीटर), जिसमें 25 प्लॉट निर्मित एवं 25 प्लॉटों पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। कॉलोनी में लगभग आबादी–350 है। संदर्भित रियल ईस्टेट प्रोजेक्ट को राज्य बोर्ड के पत्रांक–1441/एन0ओ0सी0–718/12, दिनांक 15.02.2012 द्वारा सशर्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था, जिसके बिन्दु सं0–3 के अनुसार संदर्भित रियल ईस्टेट प्रोजेक्ट से जनित घरेलू बहिःश्राव के शुद्धिकरण हेतु सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट की स्थापना की जानी थी, परन्तु बिल्डर द्वारा कालोनी से जनित घरेलू उत्प्रवाह को नगर निगम की सीवेज लाईन से सम्बद्ध किया गया। हाउसिंग कालोनी की सीवर लाइन के नगर निगम में संयोजन के संबंध में महाप्रबन्धक (जल) नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन, मथुरा द्वारा पत्र संख्या–1982/GEN/GM/MTR/2023-24 दिनांक 19.01.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मै0 एस0जे0पी0 रियल ईस्टेट लि0 (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स) की अवस्थापना सम्बन्धित सेवायें दिनांक 01.11.2021 से नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन, मथुरा को हस्तगत की गई है एवं रियल ईस्टेट प्रोजेक्ट से जनित सीवर को रूकमणी विहार एस0पी0एस0 के माध्यम से 08 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 द्वारा शुद्धिकृत किया जाता है। संदर्भित रियल ईस्टेट प्रोजेक्ट में सॉलिड वेस्ट के कलेक्शन हेतु कोई जगह निश्चित नहीं की गई है। कालोनी के सॉलिड वेस्ट को डोर–टू–डोर रिक्शे द्वारा कलेक्ट किया जाता है। कालोनी में नगर निगम, मथुरा द्वारा 04 लोहे के वेस्ट कलेक्शन पिट

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

रखे गये हैं। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सॉलिड वेस्ट को नगर निगम द्वारा कलेक्ट किया जाता है, जिसे निस्तारण हेतु नगर निगम की डम्पिंग साईट भेजा जाता है।

यह कि संदर्भित रियल ईस्टेट प्रोजेक्ट के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के पत्रांक–727/जे–75/2023, दिनांक 13.07.2023 एवं पत्रांक–645/जे–75/2023, दिनांक 12.06.2023 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या प्रेषित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये गये थे, जिसका प्रतिउत्तर रियल ईस्टेट प्रोजेक्ट स्वामी द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा पत्रांक–1487/ओ–100/2024, दिनांक 24.01.2024 के माध्यम से प्रेषित आख्या में क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा द्वारा मै0 एस0जे0पी0 रियल ईस्टेट लि0, (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा–सुनरख बांगर, तहसील व जनपद–मथुरा के विरूद्ध बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 13.09.2023 की पुष्टि करते हुए मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र के अनुसार रू0 6,250/– प्रतिदिन की दर से दिनांक 16.02.2016 से 31.10.2021 तक कुल 1777 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू0 1,11,06,250/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 24.01.2024 के आधार पर मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुपालन में मै0 एस0जे0पी0 रियल ईस्टेट लि0, (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा–सुनरख बांगर, तहसील व जनपद–मथुरा के विरूद्ध रू0 1,11,06,250/– (रूपया एक करोड़ ग्यारह लाख छः हजार दो सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBINO570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।</u>

भवदीय,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

<u>प्रतिलिपि</u> : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, मथुरा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मै0 एस0जे0पी0 रियल ईस्टेट लि0, (प्रोजेक्ट श्री राधा फ्लोरेन्स), खसरा सं0–844 से 848, 850, 851, 867 से 871, मौजा–सुनरख बांगर, तहसील व जनपद–मथुरा से उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को बोर्ड के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें तथा इसकी पुष्टि की सूचना बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

0565-2425038